

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगड, जिला-अजमेर

आलम बनाम इनायत खा

किस्म मुकदमा- धारा - 53, 188 राजठो कारठठो अधिठो

नम्बर-67 वर्ष-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इरा हुकम की तारीख में जारी हुए
03.11.2023	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री वसीम अकरम आजाद ने अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान कारठकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया । वाद-पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22-12-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">_____ उपखण्ड अधिकारी रूपनगड (अजमेर)</p>	
22-2-24	<p>22-12-23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. ति. सं. 1 से 18, 20, P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-12-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">_____ उपखण्ड अधिकारी रूपनगड (अजमेर)</p>	<p>धम वंटवारे हेतु सम्मन है।</p>
7-3-24	<p>अन्य कार्यो में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14-3-24 को पेश हो।</p>	<p>मंगल अ. किशन लाल</p>
14-3-24	<p>अन्य कार्यो में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-3-24 को पेश हो।</p>	<p>मि.</p>
15.3.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वार-वार आवान डिलवार्ड जारी। वार-वार आवान डिलवार्ड के बावजूद वादी व वकील वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम धजरी/अदम पेश्वी में वादी का वाद खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फौजदार नम्बर है।</p>	<p>मि.</p>

~~_____~~
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड (अजमेर)

